अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

05 8·9·23	न्यायालय उपायुक्त, रॉंची पी० डी० एस० अपील वाद सं० 96 आर० 15/2022–23 शान्ति कुमारी, पति वैद्यनाथ गोप, जनवितरण प्रणाली दुकानदार अनुज्ञप्ति सं० 24/84 जे० पी० मार्केट, धुर्वा, वार्ड सं० 38, थाना जगारनाथपुर, जिला रॉंची .... अपीलकर्त्ता बनाम राज्य आदेश प्रस्तुत अपील उपरोक्त अपीलकर्त्ता ने विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, रॉंची द्वारा ज्ञापांक सं० 384/अनु० दिनांक 24.11.2022 मे पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, रॉंची ने लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2019 के अध्याय IV के कंडिका– 20 के उपकंडिका V, VI के (ड) (च) VII, XIV, XV के (ज) XVI के (ख) (ग) एवं XVIII के (च) (झ) एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की संसुगत धाराओं के उल्लंघन के आलोक में अपीलकर्त्ता श्रीमति शान्ति कुमारी, जनवितरण प्रणाली दुकानदार वार्ड सं० 38, अनुभाजन क्षेत्र, रॉंची की अनुज्ञप्ति सं० 24/84 को रद्द कर दिया। दिनांक 18.08.2022 को अपराहन 04:30 बजे गठित जांच दल के द्वारा अपीलकर्त्ता की दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश –2022 के अध्याय IV के कंडिका 20 (अनुज्ञप्तिधारियों के उत्तरदायित्व) के आलोक में निम्नलिखित अनियमितताएं पायी गयी :– 1. जन वितरण प्रणाली की दुकान का संचालन अनुज्ञप्तिधारी स्वयं द्वारा न कर अप्राधिकृत व्यक्ति श्री मुकेश कुमार के द्वारा किया जा रहा है (उपकंडिका XV का (च) एवं XVIII का (च) का उल्लघंन) ।	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	2. निरीक्षण के समय स्टॉक पंजी वितरण पंजी एवं अन्य पंजियाँ संधारित नहीं पाया गया (उपकंडिका V, VI, एवं VIII) का उल्लघन)। 3. आवंटित खाद्यान्न /धोती –साड़ी दुकान में नहीं पाया गयी, जो संदेहास्पद है । 4. निरीक्षण के समय यह पाया गया कि अपवाद के माध्यम से राशन सामग्री का वितरण किया गया है किन्तु अपवाद पंजी जाँच के समय प्रस्तुत नहीं की गयी। 5. निरीक्षण के समय दुकान के बाहर–सूचना प्रदर्शित नहीं गया (उपकंडिका X, XVII का (ख) (ग) (घ) का उल्लंघन। 6. निरीक्षण के समय शिकायत– सह–सुझाव पुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया। 7. निगरानी समिति के सदस्यों की सूचि नहीं पाया गया। 8. माप तौल यंत्र का सत्यापन प्रमाण पत्र नहीं दिखाया गया (उपकंडिका XV का (झ) का उल्लघंन) । 9. किरासन तेल के ड्रम को पीला रंग से रंग कर एवं ड्रम पर डीलर का नाम एवं अनुज्ञप्ति संख्या काले रंग से अंकित नहीं पाया गया (उपकंडिका XVI का उल्लघंन है) 10. अग्नि सुरक्षा हेतु समुचित प्रबंध नहीं पाया गया। आर०सी०सी० छतयुक्त पक्का मकान में किरासन तेल के ड्रम को नहीं रखा पाया गया (उपकंडिका XV का (ग) का उल्लघंन) । 11. निरीक्षण के समय दुकान का भण्डारण क्षमता मात्र 5 X 10 पाया गया, जो प्रयुक्त नहीं है जो दो माह की आवश्यकता के बराबर खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं के भण्डारण के लिए उपर्युक्त नहीं है (कंडिका 21 का III का उल्लंघन) ।	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलकर्त्ता को निदेश दिया गया है कि उपरोक्त वे बरती गयी अनियमितता के आलोक में सुस्पष्ट एवं बिंदुवार स्पष्टीकरण दिनांक 31.082022 तक निश्चित रूप से समर्पित करें।

उपरोक्त निदेश के आलोक मे अपीलकर्त्ता के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्पष्ट एवं असंतोषप्रद मानते हुए विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी रॉची ने ज्ञापांक सं० 310 दिनांक 21.09.2022 के द्वारा लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2019 के अध्याय IV के कंडिका– 20 के उपकंडिका V, VI के (ड) (च) VII, XIV, XV के (ज) XVI के (ख) (ग) एवं XVIII के (च) (झ) एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की संसुगत धाराओं के उल्लघन के आलोक में अपीलकर्त्ता श्रीमति शान्ति कुमारी, जनवितरण प्रणाली दुकानदार वार्ड सं० 38, अनुभाजन क्षेत्र, रॉची की अनुज्ञप्ति सं० 24/84 को निलंबित कर दिया।

उपरोक्त आदेश मे विद्वान विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, रॉची के द्वारा आयोजित किया गया कि दुकान का संचालन श्री मुकेश कुमार के द्वारा कार्यालय द्वारा पूर्व मे प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था, जिसकी कार्यावधि समाप्त हो चुका है। जॉच के क्रम मे पाया गया कि श्री मुकेश कुमार के द्वारा अन्य दो जन वितरण प्रणाली दुकानों का संचालन किया जा रहा था, जो संदेहास्पद है। स्टॉक पंजी वितरण पंजी एवं अन्य पंजी की छायाप्रति समर्पित किया गया है, जो अद्यतन नही है।

तत्पश्चात् पुनः विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, रॉची ने ज्ञापांक सं० 366 (ii) दिनांक 11.11.2022 के द्वारा अपीलकर्त्ता को उक्त बरती गयी अनियमियतता के आलोक मे सुस्पष्ट एवं बिन्दुवार स्पष्टीकरण दिनांक 14.11.2022 तक निश्चित रूप से समर्पित करने का निदेश दिया गया।

उपरोक्त निदेश के आलोक मे अपीलकर्त्ता के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्पष्ट एवं असंतोषप्रद मानते हुए विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी रॉची ने ज्ञापांक 384/अनु० दिनांक 24.11.2022 के द्वारा लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2019 के अध्याय IV के कंडिका– 20 के उपकंडिका V, VI के (ड) (च) VII, XIV, XV के (ज)

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	4	
	XVI के (ख) (ग) एवं XVIII के (च) (झ) एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की संसुगत धाराओं के उल्लघन के आलोक में अपीलकर्त्ता श्रीमति शान्ति कुमारी, जनवितरण प्रणाली दुकानदार वार्ड सं० 38, अनुभाजन क्षेत्र, राँची की अनुज्ञप्ति सं० 24/84 को रद्द कर दिया। अपीलकर्त्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार– जनवितरण प्रणाली दुकानदार वार्ड सं० 38, अनुभाजन क्षेत्र, राँची की अनुज्ञप्ति सं० 24/84 अपीलकर्त्ता के नाम पर अनुज्ञप्ति एवं अपीलकर्त्ता के अनुरोध पर उसके संचालन हेतु श्री मुकेश कुमार को विभाग द्वारा अधिकृत किया गया है। निरिक्षण के दिन अपीलकर्त्ता की तबियत खराब होने के कारण दुकान का संचालन सिर्फ श्री मुकेश कुमार द्वारा किया जा रहा था, सामान्यतः दुकान का संचालन अपीलकर्त्ता एवं श्री मुकेश कुमार द्वारा किया जाता है। अपीलकर्त्ता के द्वारा वर्ष 1984 ई० से बिना किसी शिकयत एवं अनियमिततओं के संचालन किया जा रहा है। अपीलकर्त्ता के द्वारा सभी नियम एवं नियमन का अनुसरण किया जाता है। सामान्यतः स्टॉक पंजी, वितरण पंजी एवं अन्य पंजियाँ ऑनलाईन उपलब्ध होने के कारण निरिक्षण के दिन भी डाउनलोड कर के देखा जा सकता था। साड़ी एवं धोती झारखण्ड सरकार के सोना सोबरन योजना के तहत वितरण किया जाता है जिसके चूहे एवं अन्य कारणों से नुकसान होने का संशय बना रहता है, अतः सुरक्षा की दृष्टि से कपड़ो को घर पर रखा गया था । सूचनापट, शिकायत सुझाव पुस्तिका, निगरानी समिति के सदस्यों की सूची दुकान में प्रदर्शित रहता है। विद्वान विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची के द्वारा आयोजित किया गया कि दुकान का संचालन श्री मुकेश कुमार के द्वारा कार्यालय द्वारा पूर्व मे प्राधिकृत के द्वारा किया जा रहा था, जिसकी कार्यावधि समाप्त हो चुका है, परन्तु परिशिष्ट IV उपखंड 17 के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि का पहचान पत्र का नमूना से स्पष्ट है कि उनके मान्य तिथि अंकित नही है । उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची के द्वारा अपीलकर्त्ता के अनुज्ञप्ति निलंबन आदेश मे	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

यह आयोजित किया गया कि दुकान का संचालन श्री मुकेश कुमार के द्वारा कार्यालय द्वारा पूर्व मे प्राधिकृत द्वारा किया जा रहा था, जिसकी कार्यावधि समाप्त हो चुका है, परन्तु परिशिष्ट IV उपखंड 17 के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि का पहचान पत्र का नमूना के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके मान्य तिथि अंकित नही है । विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची के द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से विदित होता है उनके द्वारा प्रस्तुत मामले मे कोई सकारण आदेश पारित नही किया गया है। उनके द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। विद्वान जिला अपूर्ति पदाधिकारी, राँची द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया है कि अपीलकर्त्ता द्वारा क्या अनियमितता बरती गई है तथा किस हद तक दोषी है। उपरोक्त सभी तथ्य आदेश मे वर्णित होना चाहिए था।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक मे प्रस्तुत अपील को स्वीकृत किया जाता है तथा विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची द्वारा ज्ञापांक सं० 384/अनु० दिनांक 24.11.2022 मे पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता श्रीमति शान्ति कुमारी, जनवितरण प्रणाली दुकानदार वार्ड सं० 38, अनुभाजन क्षेत्र, राँची की अनुज्ञप्ति सं० 24/84 को इस निदेश के साथ बहाल किया जाता है कि वे भविष्य मे अनुज्ञप्तिधारियों के उत्तरदायित्वों का अक्षरशः पालन करेंगे।

इस आदेश की प्रति विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

Rahul
उपायुक्त
राँची

लेखापित एवं संशोधित

Rahul
उपायुक्त
राँची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.11.23 02:07:29 -08:00
Location: 192.168.1.4